रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 263] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मई 25, 1972/ज्येष्ठ 4, 1894

No. 263] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 1972/JYAISTHA 4, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 25th May 1972

S.O. 375(E).—Whereas in the opinion of the Central Government, it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike or lock-out in any service connected with the supply of electrical energy to the public in the State of Tamil Nadu or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply and in any of the other works connected with the Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli, would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes or lockouts in the said Corporation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, any strike or lockout in connection with any industrial dispute in the said Corporation for a period of six months.

[No. F. S-42025/11/72-LR-I.]

N. P. DUBE, Jt Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 मई, 1972

का० आ० 375(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

और यतः तामिलनाडु राज्य में जनता को विद्युत ऊर्जा के प्रदाय में या ऐसे प्रदाय के प्रयोजन के लिए विद्युत ऊर्जा के जनन, भाण्डारकरण या संचरण में संबंधित किसी सेवा में कोई और नेवेली लिगनाइट कार्पोरेशन लिमिटेड नेवेली में संबंधित संकर्म में कोई हड़ताल या तालाबन्दी समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाओं को बनाए रखने के लिए, प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इसलिए उक्त कारपोरेशन में हड़ताल या तालाबन्दी को रोकना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः अब, भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम, 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त कारपोरेशन में किसी भी औद्योगिक विवाद में संबंधित हड़ताल या तालाबन्दी को छह मास की अवधि के लिए तुरन्त में प्रतिषिद्ध करती है ।

[संख्या फा० एस-42025/11/72-एल० आर-1]

एन० पी० दुबे, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972